उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

सिया राम और अन्य

5 अगस्त 2004

(अरिजीत पसायत और सी. के. ठाकर, जे.जे.)

सेवा कानूनः

प्रशासनिक आधार पर कर्मचारी का स्थानांतरण-चुनौती- उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः स्थानांतरणीय पद पर नियुक्त कर्मचारी का स्थानांतरण सार्वजनिक हित और सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता के लिए आवश्यक सेवा की शर्त है, कर्मचारी किसी भी कानूनी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान पर तैनात होने के लिए- स्थानांतरण को उसके विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही के परिणाम से जोड़ने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है- स्थानांतरण के आदेश के लिए किसी भी प्रकार की दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है- इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश बचाव योग्य नहीं है।

रेस्पोंडेंट-कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर नियोक्ता-राज्य सरकार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

रेस्पोंडेंट ने आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह दंडात्मक प्रकृति का था और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना पारित किया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय में अभिनिर्धारित किया-

1.1 किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को अपनी पसंद के किसी एक विशेष स्थान या स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने को कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि स्थानांतरणीय पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना, अपितु सेवा की शर्त है जो जनहित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी जरूरी है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावनापूर्ण अभ्यास का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या ऐसे किसी भी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं बताया जाता है, तब तक अदालतें या न्यायाधिकरण आम तौर पर ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वे अपीलीय प्राधिकारी हो तथा संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विपरीत, नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय ले रहे हो। (350-डी, ई, एफ)

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान एवं अन्य, (2001) 8 एससीसी 574 एवं भारत संघ एवं अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ एवं अन्य, (2004) 4 एससीसी 243 पर विश्वास किया गया।

1.2. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की जैसे कि स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही से जुड़ा हो। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रत्ती भर भी सामग्री नहीं थी। किसी भी प्रकार की दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक आधार पर और सार्वजनिक हित में था। कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर उच्च न्यायालय का फैसला बचाव योग्य नहीं है ओर इसे रद्द किया जाता है। (350- एच व 351- ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5005/2004

इलाहबाद उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1557/2002 (एसबी) के निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से रवि प्रकाश मेहरोत्रा और गर्वेश काबरा।

प्रतिवादियों की ओर से राजेश कुमार।

न्यायालय का फैसला अरिजित पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

जबकि रेस्पोंडेंट नंबर 1 एक कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल), सिंचाई प्रभाग- 1, यूपी सरकार के रूप में कार्य कर रहा था और उसे ट्यूबवेल डिवीजन- 1, गाजीपुर से संयुक्त मुख्य अभियंता, ट्यूबवेल पूर्व, फैजाबाद के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण आदेश दिनांक 23.10.2002 से पता चलता है कि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर हुआ था।

रेस्पोंडेंट नंबर 1 के स्थानांतरण के उक्त आदेश का इलाहबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य की एक खंडपीठ द्वारा रद्द कद दिया गया है जो अपील में है। रेस्पोंडेंट ने स्थानांतरण के आदेश पर सवाल उठाते हुए इलाहबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। रिट आवेदन में प्राथमिक रुख यह था कि स्थानांतरण का आदेश सजा के उपाय के रूप में था। विभागीय कार्यवाही में जांच शुरू कर दी गई है। उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना, सजा के तौर पर स्थानांतरण कर दिया गया। की गई जांच के क्रम में रेस्पोंडेंट नंबर 1 के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। वर्तमान अपीलकर्ता-राज्य ने यह रुख अपनाते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया कि रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर था और केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता को एक गैर-कार्यशील पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो किसी भी तरह से स्थानांतरण के आदेश को दूषित नहीं करता था।

दिनांक 05.11.2003 के आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिका यह कहते हुए स्वीकार की गई थी कि स्थानांतरण का आदेश प्रकृति में दंडात्मक था और अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में "संविधान") के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस सवाल पर विचार किया था कि क्या स्थानांतरण सार्वजनिक सेवा के हित में था। इसके लिए अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक निर्णयन की आवश्यकता होगी और यह हमेशा संबंधित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी सरकारी सेवक या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को अपनी पसंद के किसी एक विशेष स्थान या स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि स्थानांतरणीय पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण एक घटना ही नहीं अपितु सेवा की एक शर्त है जो जनहित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी जरूरी है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावनापूर्ण अभ्यास का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या ऐसे किसी भी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं बताया जाता है, तब तक अदालतें या न्यायाधिकरण आम तौर पर ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, जैसे कि वे अपीलीय प्राधिकारी हो तथा संबंधित सेवा की प्रशासनिक

आवश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विपरीत, नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय ले रहे हो। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा नेशलन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान और अन्य (2001) 8 एससीसी 574 में उजागर किया गया था।

उपरोक्त स्थिति को हाल ही में भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य, (2004) 4 एससीसी 243 में उजागर किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही से जुड़ा था। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रत्ती भर भी सामग्री नहीं थी। किसी भी प्रकार की दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक आधार पर और सार्वजनिक हित में था। कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर उच्च न्यायालय का फैसला बचाव योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।

रेस्पोंडेंट नंबर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेंट एक अभ्यावेदन दाखिल करेगा जिसमें स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली विभिन्न कठिनाइयों को तथा उसकी गैर-वांछनीयता को उजागर किया जाएगा। यदि ऐसा अभ्यावेदन उपयुक्त प्राधिकारियों को दिया जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस पर उचित परिप्रेक्ष्य में और कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त

नहीं करते अपील खर्चों के संबंध में बिना किसी आदेश के संकेतित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस. अपील स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नकुल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।